स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक: प.6 (लेखा)RTIDF / मेट्रो / डीएलबी / 2017-18 / 9332 दिनांक 22-05-19

–:स्वीकृति आदेश:–

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की 11वीं बैठक दिनांक 03.08.2017 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 16393 दिनांक 14.08.2017 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 11.4.2 में लिये गये निर्णयानुसार जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2018-19 के विरूद्ध अनुदान **राशि रू. 1000.00 लाख (अक्षरे राशि दस करोड़ मात्र)** निम्नांकित बजट मद में से जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के **निजी निक्षेप खाता संख्या 5304** में राशि हस्तांतरण किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(राशि लाखों में)

विकलेय मद		जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या – 29		
2217	शहरी विकास	
05	अन्य शहरी विकास योजनाऐं	
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	
(02)	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	
[01]	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) **(राज्य निधि)**	1000.00
	योग	**1000.00**

स्वीकृत राशि का निम्न बिन्दुओ की पालना सुनिश्चित करते हुये राशि का उपयोग किया जावें:–

1. संस्था उक्त राशि का उपयोग सिर्फ उस उद्देश्य के लिए कर सकेगी जिस उद्देश्य के लिए राशि स्वीकृत की गई है।
2. इस राशि को बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नही किया जा सकेगा। राशि का पीडी खाते से आहरण निधियों की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. जयपुर मेट्रो व्यय करते समय राशि का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 / नियम 2013 एवं सुसंगत वित्तीय नियमों / निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना भी किया जाना सुनिश्चित करेगा।
4. प्रकरण नियमित प्रक्रिया के तहत जयपुर मेट्रो को अनुदान जारी करने से संबंधित है। अतः आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं है।

इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी. क्रमांक 171900350 दिनांक 17.05.2019 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6 (लेखा)RTIDF / मेट्रो / डीएलबी / 2017-18 / 9333-42 दिनांक 22-05-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक) / लेखा परीक्षा–प्रथम / द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि स्वीकृत राशि अपने निजी निक्षेप खाता संख्या 5304 में हस्तांतरित करवाने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 05 अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन है कि **राशि रू. 1000.00 लाख (अक्षरे राशि दस करोड़ मात्र)** जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या 5304 (कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर) में हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर।
10. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(एस. आर. मीणा)
परियोजना निदेशक